न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, कोर्ट नं0–1, जौनपुर।
सत्र परीक्षण संख्या– 08/2023, (रजि0 नं0–35/2023)
सी.एन.आर.नं0–यू.पी.जे.पी. 010001632023
स्टेट––––––––––बनाम–––––––––लालचन्द्र खरवार
मु0अ0सं0– 171/2019,
धारा–147,149,352,336,323,504,506,308 भा0 द0 सं0
थाना–महराजगंज, जिला–जौनपुर।

29.11.2023

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण लालचन्द्र खरवार, गुलाब खरवार, शनि खरवार, अनिल खरवार, राजू खरवार, राकेश गुप्ता, दिनेश यादव, मुन्नू भूज, अमित यादव की तरफ से आज की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत, जो आज के लिए स्वीकृत।

प्रार्थी/अभियुक्त लालचन्द्र खरवार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 8ख अंतर्गत धारा 227 दण्ड प्रक्रिया संहिता पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रार्थना पत्र 8ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में मात्र यह कह देने से कि मारने पीटने से अजीज कुरैसी व मजीद अली बेहोश हो गये जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 308 आई0 पी0 सी0 में दर्ज हो गयी थी परन्तु किसी भी घायल व्यक्ति के आघात आख्या में डाक्टर ने प्राण घातक चोट नहीं बताया है। सी.डी. नं0–1 में डा0 ए.के.शर्मा का बयान विवेचक ने अंकित किया है जिसमें डाक्टर ने कथन किया है कि चोटहिल अजीज कुरैसी व मजीद अली को आयी चोटों का ईलाज किया था और दोनों चोटहिल होश में थे तथा उनको उल्टियॉ नहीं आ रही थी जिससे धारा 308 आई0 पी0 सी0 का अपराध कत्तई नहीं बनता। चोटहिल अजीज कुरैसी के सर का एक्सरे हुआ है। एक्सरे रिपोर्ट में कोई फ्रैक्चर नहीं पाया गया है तथा चोटहिल महताब व जुबेदा का भी एक्सरे किया गया था परन्तु उपरोक्त लोगों के एक्सरे में भी कोई फ्रैक्चर नहीं पाया गया है। डाक्टर के बयान से यह नहीं आया है कि चोटहिल बेहोश में था उल्टियॉ आ रही थी तथा एक्सरे रिपोर्ट संलग्न पत्रावली से भी कोई फ्रैक्चर नहीं पाया गया है। जिसके कारण धारा 308 आई0 पी0 सी0 का अपराध उनके विरूद्ध नहीं बनता है। डाक्टर के बयान व एक्सरे रिपोर्ट के आलोक में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को धारा 308 आई0 पी0 सी0 से उन्मोचित किया जाना उचित है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को कथित अपराध से उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी है।

उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध जरिये अभियोजन/प्रार्थिनी सरवरी बेगम (वादिनी मुकदमा) द्वारा आपत्ति 10ख प्रस्तुत कर कथन की है कि उक्त मुकदमें की घटना दिनांक 20.06.2019 को समय करीब 19.30 बजे की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके लिखित सूचना पर थाना महराजगंज जौनपुर में मु0 अ0 सं0–171/2019, धारा 147, 149, 352, 336, 323, 504, 506, 308 आई0 पी0 सी0 में अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज हुआ और बाद विवेचना विवेचक ने अभियुक्तगण लालचन्द्र खरवार, गुलाब खरवार, शनि खरवार, अनिल खरवार, राजू खरवार, राकेश गुप्ता, दिनेश यादव, मुन्नू भूज एवं अमित यादव के विरूद्ध अंतर्गत धारा 147, 149, 352, 336, 323, 504, 506, 308 आई0 पी0 सी0 में आरोप पत्र प्रेषित किया था तथा अभियुक्तगण संजय खरवार, बृजेश यादव, अंकित यादव, छोटू यादव एवं रोहित यादव के विरूद्ध विवेचना प्रचलित रखा गया। अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण गुलाब खरवार, शनि खरवार, अनिल खरवार, राजू खरवार, राकेश गुप्ता, दिनेश यादव, मुन्नू भूज, अमित यादव का मामला सेशन सुपुर्द किया गया। उक्त प्रकरण की घटना में अभियुक्तगण ने

अजीज, मजीद, महताब, जुबेदा, अकरम आदि को जान से मारने की नीयत से लाठी डण्डा से गम्भीर चोटे पहुंचाये। चोटहिल अजीज, मजीद, महताब, जुबेदा व अकरम के सिर पर अभियुक्तगण ने मारकर चोटे पहुंचाये थे। समस्त चोटहिलों के मर्म स्थल (वाइटल पार्ट) पर प्राण घातक चोटे अभियुक्तगण द्वारा पहुंचायी गयी है और चोटहिल को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र महराजगंज के डाक्टर द्वारा रेफर किये जाने पर जिला चिकित्सालय जौनपुर में घटना के तत्काल बाद उपचार हेतु भर्ती किये गये। घटना स्थल से चोटहिलों को 108 नम्बर डायल पुलिस सी.एच.सी.महराजगंज व सदर अस्पताल जौनपुर मरणासन्न हालत में ले गयी। जिला चिकित्सालय में घायलों का एक्सरे हुआ और सरसरी तौर पर चोटहिलों के सिर की चोटे एन.ए.डी.दर्शित की गयी। चोटहिल मजीद और अजीज को अभियुक्तगण द्वारा पहुंचायी गयी चोटो से घटना स्थल पर बेहोश हो गये थे, जिसका उल्लेख वादिनी मुकदमा सरवरी बेगम ने अपने लिखित एफ0 आई0 आर0 में किया है। चोटहिल अजीज व मजीद के सिर के चोटो का सी.टी. स्कैन दौरान ईलाज एपेक्स हास्पिटल वाराणसी में हुआ। जिसमें चोटहिल अजीज के ललाट क्षेत्र (फ्रन्टल रीजन) में रक्तस्राव पाया गया और दाहिने ललाट हड्‌डी (फ्रन्टल बोन) व दाहिने आरबिट का फ्रैक्चर पाया गया और चोटहिल मजीद के दाहिने मैक्सिला व नाक की हड्‌डी का फ्रैक्चर पाया गया। विवेचक को चोटहिल मजीद व अजीज के सी0 टी0 स्कैन रिपोर्ट दी गयी थी परन्तु विवेचक ने उसे आरोप पत्र के साथ संलग्न नहीं किया। धारा 308 आई0 पी0 सी0 के द्वितीय भाग में उल्लेख है कि यदि घायलों को प्राण घातक चोटे पहुंचायी गयी हो तो अभियुक्तगण को 7 वर्ष तक की सजा दी जायेगी। अभियुक्तगण द्वारा सरसरी तौर पर अभिलेखों का उल्लेख किया गया है जबकि चोटहिल मजीद व अजीज को अभियुक्तगण द्वारा सिर पर प्राण घातक चोटे पहुंचायी गयी है जो धारा 308 आई0 पी0 सी0 की परिधि में आता है। अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 227 दण्ड प्रक्रिया संहिता में उन्मोचन हेतु प्रस्तुत किया गया है न कि धारा 228 दण्ड प्रक्रिया संहिता में। अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र आधारहीन व विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 8ख अंतर्गत धारा 227 दण्ड प्रक्रिया संहिता को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

मैने उभयपक्षगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित है कि दिनांक 20.06.2019 को समय 7.30 बजे शाम को वादिनी मुकदमा के देवर मजीद मजदूरी करके घर आ रहा था कि दिनेश यादव के घर के पीछे मोड़ पर रास्ते में रूपा पुत्री लालचन्द्र कहार आरही थी और मजीद उसको बचाने में लड़खड़ा गये कि इस पर रूपा ने कहा कि अन्धे हो क्या दिखता नहीं है, फिर उसके देवर रूपा के घर गया और उलाहना देने लगा तब रूपा के परिवार के लोग गाली गुप्ता देते हुये उसे मारने लगे तब मजीद अपने घर भाग आया तो उसके बाद अभियुक्तगण लालचन्द्र खरवार, गुलाब खरवार, संजय खरवार, शनि खरवार, अनिल खरवार, राजू खरवार, राकेश गुप्ता, दिनेश यादव, बृजेश यादव, अंकित यादव, अमित यादव, छोटू यादव, रोहित यादव व मुन्नू भुज एकराय होकर लाठी डण्डा व ईट पत्थर से लैस होकर उसके घर पर चढ़कर नन्हें उर्फ अजीज कुरैसी, मजीद कुरैसी, छेदी कुरैसी, अकरम कुरैसी, जुबैदा बेगम व तमन्ना का मारने पीटने लगे जिससे सर फट गया तथा गम्भीर चोटे आयी। मारने पीटने से अजीज अली व मजीद अली बेहोश हो गये। उसके बाद सभी अभियुक्तगण ने गन्दी–2 गालियॅा देते हुये जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद 100 नम्बर पुलिस को सूचना दिया तो पुलिस आयी तब तक सभी बदमाश भाग गये थे। उसके घर के सभी चोटहिलों को पुलिस ने तुरन्त गाड़ियों में लादकर ईलाज के लिये ले गये। उसके घर के सभी चोटहिल महराजगंज अस्पताल से जौनपुर

अस्पताल रेफर किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में वादिनी मुकदमा द्वारा थाने पर लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर सम्बंधित थाना महराजगंज जौनपुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0 अ0 सं0–171/2019 अंतर्गत धारा 147, 149, 352, 336, 323, 504, 506, 308 आई0 पी0 सी0 के तहत अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत की गयी। सम्बंधित थाने के विवेचक द्वारा मुकदमें की विवेचना की गयी। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना के क्रम में घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और स्थल का दृष्टि मानचित्र तैयार किया गया तथा धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वादिनी मुकदमा सरवरी बेगम एवं चोटहिलों का बयान अंकित किया गया जिसमें उन लोगों ने अपने–2 बयान में घटना का समर्थन करते हुये अभियुक्तगण के द्वारा गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुये मारपीट किया जाना बताया है। अभियुक्तगण के मारने पीटने से उन्हें गम्भीर चोटे आयी। जिसके सम्बन्ध में चोटहिल मो0 अजीज, मो0 मजीद, महताब, जुबेदा, अकरम एवं साजिदा को आयी चोटों के ईलाज हेतु जिला चिकित्सालय जौनपुर में भर्ती कराया गया और चोटहिलो का एक्सरे हुआ तथा चोटहिल अजीज व मजीद के सिर में गम्भीर चोटों के कारण उन्हें डाक्टर द्वारा ईलाज हेतु वाराणसी रेफर किया गया तथा उक्त चोटहिलों अजीज व मजीद के सर में आयी गम्भीर चोटो का सी.टी.स्कैन एपेक्स हास्पिटल वाराणसी में हुआ जिसमें चोटहिल अजीज के ललाट क्षेत्र में रक्तस्राव व दाहिने फ्रन्टल बोन व दाहिने आर्बिट का फ्रैक्चर तथा चोटहिल मजीद के दाहिने मैक्सिला व नाक की हड्डी में फ्रैक्चर होना पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा लाठी डण्डा व ईट पत्थर से मारपीट कर चोटहिलों को गम्भीर एवं प्राणघातक चोटे पहुंचायी गयी है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन दस्तावेजों अभिलेखों से प्रथम दृष्टया अपराध अंतर्गत धारा 147, 149, 336, 352, 323, 504, 506, 308 आई0 पी0 सी0 प्रार्थीगण/अभियुक्तगण लालचन्द्र खरवार, गुलाबचन्द्र, शनि उर्फ सुनील कुमार खरवार, अनिल खरवार, राजू खरवार, राकेश गुप्ता, दिनेश यादव, अमित यादव, मुन्नू भुज के विरूद्ध बनना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त लालचन्द्र खरवार द्वारा दिया गया उन्मोचन प्रार्थना पत्र 8ख दिनांकित 21.03.2023 निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त लालचन्द्र खरवार द्वारा दिया गया उन्मोचन प्रार्थना पत्र 8ख दिनांकित 21.03.2023 निरस्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते आरोप विरचन दिनांक–02.01.2024 को पेश हो। अभियुक्तगण लालचन्द्र खरवार, गुलाबचन्द्र, शनि उर्फ सुनील कुमार खरवार, अनिल खरवार, राजू खरवार, राकेश गुप्ता, दिनेश यादव, अमित यादव, मुन्नू भुज व्यक्तिगत रूप से नियत तिथि को उपस्थित हो।

(राजेश कुमार राय)
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, कोर्ट नं0–1,
जौनपुर।
जे.ओ.कोड नं0–यू.पी. 6021

Digitally signed by Rajesh Kumar Rai
Date: 2023.12.19 10:21:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court